



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2018/ज्येष्ठ 11, 1940

No. 372]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2018/JYAISTHA 11, 1940

**भारतीय रिज़र्व बैंक**

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 1 जून, 2018

सं. फेमा 20(आर)(2)/2018-आरबी

**विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2018**

**सा.का.नि. 520(अ).—**विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा-47 के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड(बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2017 के विनियम 10 के उप-विनियम (1) का परंतुक (ii) तथा विनियम 10 के उप-विनियम (2) का परंतुक (ii) 2 जून, 2018 से लागू होगा।

[फा. सं. 1/122/EM/2016 (Part-I)]

शेखर भटनागर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

**पाद टिप्पणी :**

मूल विनियमावली दिनांक 7 नवम्बर, 2017 के सा.का.नि. सं. 1374(अ), द्वारा भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और बाद में संशोधन के तहत सा.का.नि. 279(अ), दिनांक 26 मार्च, 2018 द्वारा संशोधित किए गए।

**RESERVE BANK OF INDIA**  
(FOREIGN EXCHANGE DEPARTMENT)  
(CENTRAL OFFICE)  
**NOTIFICATION**

Mumbai, the 1st June, 2018

**No. FEMA. 20(R)(2)/2018-RB**

**Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident  
outside India) Regulations, 2018**

**G.S.R. 520(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 6 read with section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999, Reserve Bank of India hereby notifies that proviso (ii) to sub-regulation (1) of regulation 10 and proviso (ii) to sub-regulation (2) of regulation 10 of the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a person resident outside India) Regulations, 2017, shall come into force with effect from June 02, 2018.

[F. No. 1/22/EM/2016 (Part-I)]

SHEKHAR BHATNAGAR, Chief General Manager-in-Charge

**Foot Note :**

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 1374(E) dated November 07, 2017 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under G.S.R. No. 279(E), dated 26.03.2018.